भारतसरकार Government of India

रेलमंत्रालय Ministry of Railways

(रेलवेबोर्ड) (Railway Board)

RBA.No. 41/2021

No. 2018/ACII(CC)/IPAS/37/9 **New Delhi, dated** **30.7.2021**

General Managers,
All Zonal Railways/PUs.

Sub: Validation of Employee Pay Roll database.
Ref: Board's letters of even no. dated 12.9.2018 (RBA.No. 96/2018), 27.2.2019 (RBA. No. 14/2019), 24.7.2019 (RBA. No. 59/2019), 23.8.2019 (RBA.No 76/2019, 16.8.2019 (RBA.No. 69/2019)

Kindly refer to Board's letters on the above subject, as issued from time to time emphasizing the urgent need to validate the employee master data which generates pay roll and other establishment claims. The validation is necessary to establish that employees included in the Master Table are bonafide employees appointed by Competent Authority after following legislated recruitment procedures besides carrying other details such as Date of Birth, Date of Appointment etc.. This validation can only be done by comparing Pay Roll details with the Service Records, starting with recruitment and appointment letters.

It is urged that all PCPOs be directed to conduct a one-time exercise to validate the complete employee master data on IPAS with employees' service records. Further, the data on appointment letters issued by RRCs and RRBs may also be linked with new entrants' details. The Memorandum of Differences may be prepared thereafter. This will enable cleansing of the base line data/ information. PFAs will then conduct an independent internal check to validate Payroll database on IPAS to ensure that proper Maker –Checker protocols are in place.

In this regard it is presumed that the exercise for validation of the pay rolls as sought by Board vide the above letters has been completed by now. A report confirming the cleansing / validation of the data may kindly be sent for Board's perusal by **30.9.2021 .**

Roopa 30/7/20

(Roopa Srinivasan)
Pr. Executive Director/Accounts
Railway Board

Copy to :

1. **PCPOs/ All Zonal Railways** for necessary action
2. **PFAs/ All Zonal Railways/PUs** for information and sending a report confirming cleansing/ validation of Pay Roll by **30.9.2021.**

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 41/2021

सं. 2018/एसी II(सीसी)/आईपीएएस/37/9 नई दिल्ली, दिनांक 30.7.2021

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: कर्मचारी वेतन नामावली डाटाबेस का सत्यापन।
संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 12.9.2018 (आरबीए सं. 96/2018), 27.2.2019 (आरबीए सं. 14/2019), 24.7.2019 (आरबीए सं. 59/2019), 23.8.2019 (आरबीए सं. 76/2019), 16.8.2019 (आरबीए सं. 69/2019) के समसंख्यक पत्र।

कृपया उक्त विषय पर समय-समय पर जारी बोर्ड के पत्रों का अवलोकन करें, जिनमें वेतन नामावली और स्थापना संबंधी अन्य दावे तैयार करने के लिए कर्मचारी मास्टर डेटा को विधिमान्य करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह सत्यापन आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मास्टर टेबल में शामिल कर्मचारी वास्तविक कर्मचारी हैं, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म तिथि, नियुक्ति की तारीख आदि जैसे अन्य विवरणों की जांच के अलावा विधिवत भर्ती प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद नियुक्त किया गया है। यह सत्यापन सेवा रिकॉर्ड में भर्ती एवं नियुक्ति पत्रों से शुरू करते हुए वेतन नामावली के विवरण से तुलना करके ही किया जा सकता है।

अनुरोध है कि सभी प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारियों को आईपीएएस में कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड सहित पूर्ण कर्मचारी मास्टर डाटा को एकबारगी सत्यापित करने के निदेश दिए जाएँ। इसके अलावा, रेल भर्ती सेल और रेल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों को भी नए प्रवेशकों के विवरणों के साथ लिंक किया जाए। इसके बाद मतभेद ज्ञापन तैयार किया जाए। इससे मूल आधार डाटा/सूचना का सत्यापन सुनिश्चित होगा। प्रधान वित्त सलाहकार आईपीएएस पर वेतन नामावली डाटाबेस को सत्यापित करने की निष्पक्ष अंतरिम जांच करेंगे ताकि सुनिश्चित हो कि उचित मेकर-चेकर प्रोटोकॉल मौजूद है।

इस संबंध में, ऐसा माना जाता है कि बोर्ड द्वारा उक्त पत्रों के तहत वेतन नामावली के सत्यापन संबंधी कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है। कृपया डाटा के सत्यापन की पुष्टि से संबंधित रिपोर्ट बोर्ड के अवलोकनार्थ 30.09.2021 तक भेजी जाए।

(रूपा श्रीनिवासन)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/ लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/ सभी क्षेत्रीय रेलों को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. प्रधान वित्त सलाहकार/ सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयों को सूचनार्थ और 30.09.2021 तक वेतन नामावली की सफाई/सत्यापन की पुष्टि रिपोर्ट भेजने हेतु।